

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संचिका सं०- 02/भू0अ0नि0 (1) यो0बजट- (2023-24)-01/2023.1108
प्रेषक,

जय सिंह, मा०प्र०से०
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

4.7.29/02/2024

सेवा में,

समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी,
भोजपुर(आरा)/बक्सर/गोपालगंज/सिवान/मधुबनी/पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)/
रोहतास (सासाराम)

बन्दोबस्त पदाधिकारी

बाँका/शिवहर/बेगूसराय/लखीसराय/जहानाबाद/किशनगंज/अररिया/सुपौल/
मधेपुरा/जमुई/शेखपुरा/नालन्दा/पश्चिम चम्पारण (बेतिया)/पूर्णियाँ/खगड़िया/
मुंगेर/बेगूसराय/सहरसा

उप निदेशक -सह-

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू-अभिलेख एवं परिमाण

पटना दिनांक :-

विषय :- मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व-उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष 102- सर्वेक्षण तथा
बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष -0101- सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के
अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में वेतनादि मद एवं वेतनादि मद से भिन्न मद में निधि
का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु आपके अधीन
कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों के वेतनादि मद एवं वेतनादि से भिन्न मद में आपके आवंटन
अधियाचना के आलोक में कुल- 2,10,37,900/- (दो करोड़ दस लाख सैतीस हजार नौ सौ)
रूपये मात्र का आवंटन निम्नानुसार निर्गत किया जाता है :-

क्र०स०	कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष						योग
		01 01 वेतन	01 03 जी०या०भ०	01 04 म०कि०भ०	01 05 परिवहन भत्ता	01 06 चि०भत्ता	01 07 अन्य भत्ता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, भोजपुर (आरा)	236500	57600	-	-	-	1000	295100
2	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, गोपालगंज	98600	52900	8100	-	2000	-	161600
3	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, मधुबनी	261800	47400	17000	-	6000	-	332200
4	बन्दोबस्त पदाधिकारी, बाँका	640000	-	-	-	-	-	640000

6

क्र०स०	कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष						योग
		01 01 वेतन	01 03 जी०या०भ०	01 04 म०कि०भ०	01 05 परिवहन भत्ता	01 06 चि०भत्ता	01 07 अन्य भत्ता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	बन्दोबस्त पदाधिकारी, शिवहर	1050000	50000	50000	—	—	—	1150000
6	बन्दोबस्त कार्यालय, लखीसराय	1197700	12400	39200	—	—	—	1249300
7	बन्दोबस्त कार्यालय, जहानाबाद	796800	62200	35000	—	—	—	894000
8	बन्दोबस्त कार्यालय, किशनगंज	1070000	50000	30000	—	—	—	1150000
9	बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया	100000	23200	—	—	—	—	123200
10	बन्दोबस्त कार्यालय, मधेपुरा	800000	76000	36000	—	5000	—	917000
11	बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा	700000	50000	—	—	—	—	750000
12	बन्दोबस्त कार्यालय, नालन्दा	150000	70000	—	—	—	—	220000
13	बन्दोबस्त कार्यालय, पूर्णियाँ	250000	50000	50000	40000	10000	—	400000
14	बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय	1600000	6000	—	—	—	—	1606000
15	बन्दोबस्त कार्यालय, सहरसा	763400	75000	100000	—	—	—	938400
16	उप निदेशक-सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय	120000	10000	10000	5000	5000	—	150000
कुल योग :-		9834800	692700	375300	45000	28000	1000	10976800

क्र० स०	कार्यालय का नाम	02 01 मजदुरी	06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	11 01 यात्रा व्यय	13 01 कार्यालय व्यय	13 03 दूरभाष	13 06 वर्दी/ पोशाक	13 10 भाड़े की गाड़ी का मुगतान	26 01 विज्ञापन एवं प्रकाशन	28 02 संविदा सेवाएँ	52 01 मशीने एवं उपस्कर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	समाहर्ता-सह- बन्दोबस्त पदाधिकारी, भोजपुर (आरा)	—	—	—	—	—	5000	—	—	—	—	5000
2	समाहर्ता-सह- बन्दोबस्त पदाधिकारी, बक्सर	—	—	—	—	—	—	—	—	944400	—	944400
3	समाहर्ता-सह- बन्दोबस्त पदाधिकारी, गोपालगंज	—	—	—	—	—	—	—	—	17500	—	17500
4	समाहर्ता-सह- बन्दोबस्त पदाधिकारी, सिवान	—	—	5000	680000	—	—	—	—	—	—	685000

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	02 01 मजदुरी	06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	11 01 यात्रा व्यय	13 01 कार्यालय व्यय	13 03 दूरभाष	13 06 वर्दी/पोशाक	13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	26 01 विज्ञापन एवं प्रकाशन	28 02 संविदा सेवाएँ	52 01 मशीने एवं उपस्कर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, मधुबनी	-	50000	-	-	-	-	-	-	-	-	50000
6	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	-	-	-	-	-	-	-	-	498000	-	498000
7	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम)	-	-	-	500000	-	-	-	-	-	-	500000
8	बन्दोबस्त पदाधिकारी, बाँका	-	-	-	-	-	5000	-	-	-	-	5000
9	बन्दोबस्त पदाधिकारी, शिवहर	50000	-	-	-	-	-	-	-	-	39000	89000
10	बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय	-	-	-	500000	-	-	-	-	-	-	500000
11	बन्दोबस्त कार्यालय, लखीसराय	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000
12	बन्दोबस्त कार्यालय, जहानाबाद	-	-	-	500000	-	-	-	-	-	-	500000
13	बन्दोबस्त कार्यालय, किशनगंज	-	-	100000	400000	-	-	190000	-	-	250000	940000
14	बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया	27500	-	-	425000	-	-	120500	-	-	-	573000
15	बन्दोबस्त कार्यालय, सुपौल	-	-	-	-	-	-	-	-	500000	-	500000
16	बन्दोबस्त कार्यालय, मधेपुरा	-	-	-	200000	-	-	-	-	-	-	200000
17	बन्दोबस्त कार्यालय, जमुई	-	-	-	100000	-	-	350000	70000	-	-	520000
18	बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा	-	-	-	100000	-	-	-	-	-	-	100000
19	बन्दोबस्त कार्यालय, नालन्दा	-	-	-	300000	5000	-	25000	-	-	-	330000
20	बन्दोबस्त कार्यालय, प० चम्पारण (बेतिया)	200000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200000
21	बन्दोबस्त कार्यालय, पूर्णियाँ	-	-	-	-	-	-	20000	-	2500000	-	2520000
22	बन्दोबस्त कार्यालय, खगड़िया	-	-	-	207300	-	-	63800	-	-	-	271100
23	बन्दोबस्त कार्यालय, मुंगेर	2100	10000	100000	-	-	-	-	-	-	-	112100
कुल योग :-		280600	60000	205000	3912300	5000	10000	769300	70000	4459900	289000	10061100

(1,09,76,800 + 1,00,61,100 = 2,10,37,900) (दो करोड़ दस लाख सैतीस हजार नौ सौ) रुपये मात्र

h

नोट :-1. जीवन यापन भत्ता मद में अधियाचना के अनुसार राशि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वेतनादि मद के अन्य मद में आधिक्य राशि उपलब्ध कराया गया है, जिस समेकित रूप से बकाया वेतनादि का भुगतान किया जा सकता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 1296 दिनांक 03.06.2022 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
3. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड 40- 2029001020101 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
5. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।
6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
7. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
9. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
10. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

6/01/24
(जय सिंह)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (1) यो0 बजट-(2023-24)-01 / 2023...1108 पटना, दिनांक 29/01/2024

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा)

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (1) यो0 बजट-(2023-24)-01/2023...1108..... पटना, दिनांक 29/12/2024
प्रतिलिपि:- संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
29/12/24

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (1) यो0 बजट-(2023-24)-01/2023...1108..... पटना, दिनांक 29/12/2024
प्रतिलिपि :- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
29/12/24

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (1) यो0 बजट-(2023-24)-01/2023...1108..... पटना, दिनांक 29/12/2024
प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
29/12/24
भू-अभिलेख एवं परिमाप